फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ
सुभाषचन्द्र बनाम आदराम आदि
किस्म मुकदमा:–251(क) आरटीए प्रकरण संख्या:–194/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस दिनांक 14.02.2020को सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी श्री भगवानदत्त शर्मा ने प्रा.पत्र दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाना मनीराम वल्द खेताराम जाट के नाम से चक 28 पीबीएन खाता संख्या 81/75 के प0नं0 39/348 के कि0नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 व प0नं0 38/349 के कि0नं0 1/0.253, 10 ता 12/0.759 है0, 19 ता 24/1.518 है0 कुल 5.060 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से चक 28 पीबीएन के प0नं0 39/348 कि0नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 कमाण्ड भूमि प्रार्थी के नाना मनीराम वल्द खेताराम ने प्रार्थी के पक्ष में जरिये वसीयत हस्तांतरित की थी जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर प्रार्थी बतौर खातेदार बआधार वसीयत काबित काश्त है। पूर्व में अपने कब्जा काश्त की चक 28 पीबीएन के प0नं0 39/348 के कि0नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 भूमि में आने–जाने के लिए प0नं0 39/348 के कि0नं0 5,6,15 में 2–2 बिस्वा रास्ता का उपयोग हो रहा था जो उक्त प0नं0 के कि0नं0 5,6,15 के पूर्वी पासा में, उत्तर से दक्षिण होते हुए, कि0नं0 16 के उत्तर–पूर्वी कोने तक था, जो मुख्य स्वीकृत मार्ग तक भूमि की पहुंच बनाता था। यह रास्ता काफी वर्षो से चला आ रहा था। किन्तु अब यह रास्ता स्वीकृत नही होने से उक्त भूमि का खातेदार रास्ता रोक रहा है। अतः अप्रार्थी के खातेदारी रकबा चक 28 पीबीएन के प0नं0 39/348 कि0नं0 5,6,15 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा (पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। प्रार्थीगण रास्ता के बदले में भूमि या फिर डीएलसी दर से राशि जमा कराने हेतु तैयार है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता की भूमि प0नं0 39/348 कि0नं0 5,6,15 में डिग्गी बनी हुई है, जो कि लगभग 15–20 वर्षो से बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा हमें परेशान करने की नीयत से यह प्रा.पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र निरस्त किया जावे। कानूनी नजीर आरआरटी 2016(1) पेज 649 प्रस्तुत की। योग्य अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट व नक्शा मौका का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी व नक्शा मौका एवं तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार रकबा चक 28 पीबीएन के प0नं0 39/348 कि0नं0 5 में अप्रार्थी आदराम द्वारा डिग्गी का निर्माण किया हुआ है व कि0नं0 8 में अप्रार्थी द्वारा कमरा का निर्माण करवाया हुआ है। इसलिये प्रार्थीगण को अन्य वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित होगा। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहे जाने वाले रास्ता में डिग्गी निर्माण होने से प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ अनुसार प्रार्थी को उनके रकबा में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही है। किसी काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश हेतु किसी भी तरफ से रास्ता उपलब्ध न होने की स्थिति में रास्ता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है। इसलिये प्रार्थी को अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.25 13:15:25 IST
Reason: SelfAttested